उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम ने आचरण, अनुशासन एवं अपील संबंधी अपने नियम बना रखे हैं तथा अपना आन्तरिक सतर्कता एकक भी स्थापित कर रखा है । सरकारी क्षेत्र के सम्बद्ध उपक्रम का प्रबन्धन, यदि आवश्यक हो तो केंद्रीय सतर्कता आयोग एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जैसे अभिकरणों के परामर्श से, भ्रष्टाचार, नियुक्तियों, पदोन्नति तथा सेवन आदि से संबंधित शिकायतों की जांच करता है । सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन निदेशक मंडल स्तर से नीचे के अपने कर्मचारियों से संबंधित ऐसी शिकायतों के संबंध में निर्णय करने हेतु पूर्णरूपेण सक्षम है । निदेशक मण्डल स्तर के अधिकारियों के मामले में, जहां राष्ट्रपति नियोक्ता अधिकारी होता है, केंद्रीय सरकार द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श से अंतिम निर्णय किया जाता है । केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों मंत्रालयों तथा निजी या अन्य स्रोतों से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में भ्रष्टाचार आदि संबंधी शिकायत प्राप्त करने पर इन शिकायतों की जांच करता है । । केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के कुल 244 उपक्रमों से संबंधित ऐसी शिकायतों के कुल आंकडे तथा प्रत्येक शिकायत संबंधी कार्रवाई की स्थिति/लंबित शिकायतों की संख्या आदि का ब्यौरा केंद्रीय सरकार में नहीं रखा जाता ।

हानि उठा रहे सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

2160. **डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को होने वाले कुल नुकसान का 80% नुकसान 83 उपक्रमों द्वारा ही किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इनमें से आधे उपक्रम वे हैं जिन्हें पिछले वर्षों में निजी क्षेत्र से उनमें घटित अनियमितताओं के कारण सरकार को अधिग्रहण करना पड़ा था ; यदि हां, तो ऐसे उपक्रमों के नाम क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार उनके घाटे को समाप्त करने के लिए इन उपक्रमों के प्रबंध और क्रियाकलाप में परिवर्तन करने का विचार रखती है ; यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) सरकार ने रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1985 के मौजूदा प्रावधानों को संशोधित कर सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उद्योगों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मण्डल को सौंपने का निर्णय किया है ताकि उनके नवीकरण/पुर्स्थापन की योजनायें बनाई जा सकें । योजना निर्माण के एक भाग के रूप में मण्डल (बोर्ड) इन उद्यमों के प्रबंधन तथा क्रियाकलापों में परिवर्तन करने का निर्णय कर सकता है ।

2161. [*Transferred to the 16th December, 1991.*]

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन रांची की कार्य-क्षमता

2162. **श्री शारदा महतो :**
श्री चिमन भाई महता :
श्री शंकर दयाल सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन की स्थापित कार्यक्षमता का कितना उपयोग कर रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड और कुछ अन्य सरकारी उपक्रम हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन को कार्य आदेश